

2012/0004

41

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्रा0पं0 सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी - विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या--62/2012

1-बुधुआ, 2-भोला, पुत्रगण किशनलाल, 3-शियादेई, 4-रमले, पुत्रीयान लक्ष्मण
5-कल्लो, 6-पांचो पुत्रीयान, 7-गजेन्द्र पुत्र नाबालिग वसरपरस्ती माता भूदेवी बेवा
लक्ष्मण, 8-भूदेवी बेवा लक्ष्मण समस्त जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम रजौराकलां
तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1-रामवरन, 2-नवलकिशोर पुत्रगण फतेसिंह, 3-फेरन पुत्र चन्दनसिंह जातिगण लोधा
निवासीगण ग्राम रजौराकलां तहसील सैपऊ
4-पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक
5-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा बावत् बंटवारा काश्त
एवं स्थायी निशेद्याज्ञा

उपरिस्थिति-


1-बुधुआ वगैराह - वादीगण
2-रामवरन वगैराह - प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 14.7.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 380, 386 कुल किता 2 कुल रकवा 1 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम कोड़पुरा खसरा नम्बर 1550, 1554, 1558, 1561 कुल किता 4 कुल रकवा 2 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम सैपऊ नम्बर-2, खसरा नम्बर 508, 544, 550, 551, 526, 820, 821, 824, 825, 947, 942, 1052 कुल किता 12 कुल रकवा 09 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम रजौराकलां एवं खसरा नम्बर 509 रकवा 17 विस्वा वाके ग्राम रजौरा कलां तहसील सैपऊ का वास्ते बटवारा काश्त प्रस्तुत किया। पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 11.7.2015 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।




उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम कोड़पुरा व सैपऊ नं. 2 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है।

1-रामवरन, नवलकिशोर पुत्रान फतेसिंह जाति लोधा निवासी रजौराकला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	380/1	0.06
	386/1	0.06
	509/3	0.04
कुल	03	0.16

2-फेरनसिंह पुत्रश्री चन्दनसिंह जाति लोधा निवासी रजौरा कला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर मुताबिक जमाबन्दी रहन वदस्तूर

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	508/1	0.17
	1550/1	0.08
	1558/1	0.08
	1554/1	0.02
	1561/1	0.06
	509/1	0.05
	626/1	0.06
	544/1	0.07
	820/1	0.09
	821/1	0.06
	824/1	0.01
	825/1	0.03
	550	1.02
	942	0.11
	1052/1	0.13
कुल	15	6.04



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

3 बुधुआ, भोला पुत्रगण किशनलाल, शियादेई, रमले पुत्रीयान लक्ष्मण, कल्लो, पांचो पुत्रीयान गजेन्द्र पुत्र नावा० सरपरस्ती माता भूदेवी वेवा लक्ष्मण भूदेवी वेवा लक्ष्मण जाति लोधा निवासी रजौरा कला

क०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	1550/2	0.08
	1558/2	0.09
	1554/2	0.02
	1561/2	0.05
	509/2	0.08
	508/2	0.17
	380/2	0.06
	386/2	0.06
	626/2	0.07
	544/2	0.06
	820/2	0.10
	821/2	0.06
	824/2	0.01
	825/2	0.03
	551	1.01
	941	0.10
	1052/2	0.14
कुल	17	6.19

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा० की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ